फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री महेन्द्रसिंह बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर उदयपुर व अन्य
किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 50/22

दिनांक : 09.06.2025

कार्यवाही विवरण

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अतः विपक्षी संख्या 1 व 2 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा हाल तहसील भीण्डर की नवीन आराजी न. 2262 रकबा 1.2400 है. भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार महफुज चरनोट के नाम अंकित है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का उसके पिता पर्वतसिंह पिता डूंगरसिंह के समय से यानि गत 50 वर्षो से भी ज्यादा समय से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं। कब्जे के सम्बन्ध में पी–14 की नक्ले, पेनाल्टी की रसीद एवं धारा 91 लेण्ड रेनेव्यु एक्ट के तहत दिये गये नोटिस की प्रतिया प्रार्थी के पास मौजूद है। लगभग 50 वर्षो से भी अधिक समय से आधिपत्य प्रार्थी एवं उनके पिता का कब्जा चला आ रहा है जिसे किसी ने नहीं हटाया है। यह कि प्रार्थी व उनके पूर्वाधिकारीयों का कब्जा 50 वर्ष से भी अधिक समय से निरन्तर निराबाध रूप से बिना किसी रोक टोक चला आ रहा हैं कानूनन 30 वर्ष से अधिक समय तक रहें प्रतिकुल कब्जे को हटाने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा कथन कहा कि विपक्षी श्रीमान तहसीलदार भीण्डर प्रार्थी को बिना सुने प्रार्थनाग्रस्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दे रहें हैं तथा प्रार्थी के कब्जे की भूमि को अन्य को एलोट कर देगे जिससे प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में महफुज चरनोट चरागाह अधिनस्थ ग्राम पंचायत खेरोदा के नाम दर्ज रेकर्ड हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार नहीं हैं। उक्त भूमि के खातेदार महफुज चरनोट चरागाह अधिनस्थ ग्राम पंचायत खेरोदा हैं। प्रार्थी द्वारा मुल वाद घोषणा का प्रस्तुत कर प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही हैं तथा इस पत्रावली में विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी खातेदार नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:53:39 IST
Reason: SelfAttested